



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01032023-243975  
CG-DL-E-01032023-243975

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144]  
No. 144]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2023/फाल्गुन 9, 1944  
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2023/PHALGUNA 9, 1944

भारतीय मानक ब्यूरो  
(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2023

संदर्भ: HQ-PUB012/1/2020-PUB-BIS (530).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण इसमें संलग्न अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं। चौथे स्तंभ में दिये गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए जाने हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	प्रतिस्थापन तिथि	भारतीय मानकों, यदि वापस लिए जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	वापस होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 8164 : 2023 रेन्फोर्सिंग के बिना अस्पताल रबड़ शिटिंग — विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	24 फरवरी, 2023	आई एस 8164 : 1976 रेन्फोर्सिंग के बिना अस्पताल रबड़ शिटिंग के लिए विशिष्टि	24 नवम्बर, 2023

2	आई एस 9532 : 2023 चक्का और श्रीखंड — विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	24 फरवरी, 2023	आई एस 9532 : 1980 चक्का और श्रीखंड के लिए विशिष्टि	24 नवम्बर, 2023
---	--	-------------------	---	--------------------

पी राजेश, वैज्ञानिक एफ और उपमहानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी , टी एन एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./670/2022-23]

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**

(Department of Consumer Affairs)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th February, 2023

**Ref: HQ-PUB012/1/2020-PUB-BIS (530).**—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column.

**SCHEDULE**

Sl No.	No., Year & Title of the Indian Standards Established	Date of Establishment	No. , Year & Title of the Indian Standards to be withdrawn, if any	Date of withdrawal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 8164 : 2023 Hospital Rubber Sheeting without Reinforcing Fabric — Specification (First Revision)	24 February, 2023	IS 8164 : 1976 Specification for Hospital Rubber Sheeting without Reinforcing Fabric	24 November, 2023
2	IS 9532 : 2023 Chakka and Shrikhand — Specification (First Revision)	24 February, 2023	IS 9532 : 1980 Specification for Chakka and Shrikhand	24 November, 2023

P. RAJESH, Scientist F and DDG (ITS, PRT and TNM)

[ADVT.-III/4/Exty./670/2022-23]